



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15792

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1805/2026

दिग्विजय कुमार सिंहयाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: सतीश कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. नायब तहसीलदार, रॉबर्ट्सगंज द्वारा वाद संख्या 4392/2024 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2025 के विरुद्ध, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत प्रावधानित वैधानिक अपील याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 2- उप जिलाधिकारी, तहसील-रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र के समक्ष 21.11.2025 को दायर की गई थी। उक्त अपील में पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ एक आवेदन भी दायर किया गया था।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामले में अंतरिम राहत की तत्काल आवश्यकता है। प्रतिवादी संख्या 2 को ही ज्ञात कारणों से, उनके द्वारा उक्त अपील में आज तक कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है, जबकि उक्त अपील प्रकृति में वैधानिक है।
3. मामले के इस पहलू को देखते हुए और न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका को प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दायर अंतरिम राहत प्रदान करने के आवेदन पर कम से कम उचित आदेश, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर पारित करें।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"